बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 2263 दिनांक 22.02.19 द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदो के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम 2 में अंकित अभ्यर्थियों को औपबधिक रुप से संविदा पर नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में अंकित कोटि के विरूद्ध कॉलम 8 में अंकित पद हेतु अगले 11 माह के लिए चयनित किया जाता है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे **पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/सेवा निवृत कार्यालय का अनापति प्रमाण पत्र** के साथ **दिनांक 30.08.2019** तक निगम मुख्यालय पटना में योगदान/चयन हेतु सहमति देना सुनिश्चित करेंगे। निगम द्वारा पदस्थापन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में पदस्थापन के तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों मे भिन्नता/त्रुटि पाये जाने अथवा सेवा निवृति विभाग से प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

क्र0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	कोटि	सेवा निवृति का पद	गृह जिला	सेवा निवृत का कार्यालय	कोटि जिसके विरूद्ध चयन किया गया है।	पदनाम जिसके विरूद्ध चयन किया गया है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				सहायक अभियंता				
1	श्री संतोष कुमार सिंह	अनारक्षित	सहायक अभियंता	पटना	नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, मुज0 नगर निगम मुजफ्फरपुर	अनारक्षित	सहायक अभियंता	
				कनीय अभियंता				
1	श्री दीना नाथ राय	पिछड़ा वर्ग	कनीय अभियंता	रोहतास	पथ निर्माण विभाग,पथ प्रमण्डल, बोकारो	अनारक्षित	कनीय अभियंता	
2	श्री कुमार सुधीर सिन्हा	पिछड़ा वर्ग	कनीय अभियंता	नालन्दा	भवन निर्माण विभाग,भवन प्रमण्डल, रॉची 834001	अनारक्षित	कनीय अभियंता	

शर्ते–

(i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपंबंधिक रुप से इस शर्त के साथ चयनित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवा निवृत कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

(ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिंनांक 30.8.19 के अपराह्न तक निगम में अपना योगदान/चयन हेतु सहमति देना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(iii). सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।

(iv). सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं010000 दिनांक 10.7.15 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

लगातार...

27.8.19

(vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(vii). इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली इनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा

(viii). अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(ix). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः-3:02:214:01:2018 8905 दिनांक- 27/8/19

प्रतिलिपि-सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी महाप्रबंधक,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभारी नियंत्रण कक्ष,निगम मुख्यालय,पटना को निगम के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(9)
प्रभारी नियंत्रण कक्ष

27.8.19

उप महाप्रबंधक,प्रशासन